प्रेस विज्ञप्ति

10/09/2024

कोलकाता जोनल कार्यालय ने डॉ. संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल, आर जी कर मेडिकल द्वारा धन के दुरुपयोग के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के के तहत उनके आवास और उनके करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के आवास सहित 07 परिसरों पर 06.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने डॉ. संदीप घोष और अन्य संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसीबी, कोलकाता द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

तलाशी के दौरान, यह पता चला कि डॉ. संदीप घोष की पत्नी डॉ. संगीता घोष,, ने राज्य सरकार के अधिकारियों से उचित अनुमोदन के बिना दो अचल संपत्तियां खरीदी थीं। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2021 में डॉ. संगीता घोष को डॉ. संदीप घोष द्वारा संपत्ति खरीदने की कार्योत्तर मंजूरी दी गई थी। इस अवधि के दौरान, डॉ. संदीप घोष आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के रूप में तैनात थे और डॉ. संगीता घोष सहायक प्रोफेसर के रूप में तैनात थीं।

तलाशी अभियान के दौरान, मुर्शिदाबाद में एक फ्लैट, कोलकाता में 3 फ्लैट, डॉ. संदीप घोष और उनकी पत्नी डॉ. संगीता घोष द्वारा अर्जित कोलकाता में 2 घरों के साथ-साथ उनके स्वामित्व वाले एक फार्महाउस से संबंधित दस्तावेज पाए गए। तलाशी के दौरान डॉ. संदीप घोष से संबंधित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। संपत्तियों से संबंधित इन दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया संदेह के आधार पर जब्त किया गया था कि ये संपत्तियां अपराध की आय से खरीदी गई थीं।

आगे की जांच जारी है।